प्ररूप सं. 45

[नियम 112 देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 और आय-कर नियम, 1962
के नियम 112(1) के अधीन प्राधिकार का वारंट

[सेवा में,

उप निदेशक,

उपायुक्त,

सहायक निदेशक

सहायक आयुक्त

आय-कर अधिकारी]

.....

मेरे समक्ष जानकारी रखी गई है और उस पर विचार करने पर मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि–

भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना (नोटिस) [उपायुक्त/सहायक आयुक्त/आय-कर अधिकारी] ..... द्वारा तारीख ..... को ..... (व्यक्ति का नाम) को, सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी की गई थी और उसने ऐसे समन या नोटिस द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया है या वह असफल रहा है;

[उपायुक्त/सहायक आयुक्त/आय-कर अधिकारी] द्वारा तारीख ..... को ..... (व्यक्ति का नाम) को भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस, सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने के लिए जारी की गई थी और वह ऐसे समन या नोटिस द्वारा यथाअपेक्षित लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा या नहीं कराएगा।

यदि भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस ..... (व्यक्ति का नाम) को ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया जाता है/जारी की जाती है, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे तो वह ऐसे समन या सूचना द्वारा अपेक्षित रूप में ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत नहीं कराएगा;

सर्वश्री/श्री/श्रीमती ..... के कब्जे में कुछ धन, बुलियन, आभूषण या अन्य, मूल्यवान वस्तु या चीज है और ऐसा धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु ऐसी आय या संपत्ति का पूर्णतः या भागतः प्रतिनिधित्व करती है जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई है या नहीं की जाएगी;

और मेरे पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसी लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ..... में (भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें) रखी गई हैं और पाई जानी हैं।

[आपको [उपनिदेशक] का या उपायुक्त का या सहायक निदेशक का या सहायक आयुक्त का या आय-कर अधिकारी का नाम] यह प्राधिकार दिया जाना है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि–

(*क*) उक्त भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान में प्रवेश करे और उसकी तलाशी लें,

(*ख*) ऐसे किसी व्यक्ति की जो भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान से निकला है या उसमें घुसने वाला है या उसमें है। तलाशी लें, यदि आपके पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी ऐसी लेखा पुस्तक, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को अपने शरीर में छिपा लिया है,

(*ग*) ऐसी लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों पर, जो तलाशी के अनुक्रम में पाई जाए और जैसा आप पूर्वोक्त कार्यवाहियों के लिए सुसंगत या उपयोगी समझें, पहचान चिह्न लगाऐं और पहचान चिह्नों की विशिष्टियां के साथ उसकी सूची बना लें,

(*घ*) ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की परीक्षा करें और ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की प्रतियां या उनसे उद्धरण तैयार करें या तैयार कराएं,

(*ङ*) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई ऐसी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को जब्त कर लें और उनको कब्जे में ले लें,

(*च*) ऐसे किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का टिप्पण या सूची बनाएं,

(*छ*) ऐसी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को आय-कर के [उप निदेशक] के या किसी अन्य प्राधिकारी के, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के निष्पादन में नियुक्त आय-कर अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, कार्यालय में पहुचाएं, और

(*ज*) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के और उससे संबंधित नियमों के अधीन सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करें तथा अन्य सभी कृत्यों का पालन करें।

आप, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी प्रयोजनों के लिए किसी पुलिस अधिकारी की या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी को या दोनों की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकते है।

[*महा निदेशक या निदेशक*]

[मुद्रा] [*आय-कर के मुख्य-आयुक्त या आयुक्त*]

[*उप निदेशक*] *आय-कर के*

[*उपायुक्त*]